प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 76/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों" पर सिफारिशें जारी की

नई दिल्ली, 21st अगस्त 2023 - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज "डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों" पर सिफारिशें जारी की हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 02.02.2022 के पत्र संख्या 2/33/2021-बीपी&एल के माध्यम से ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा (11) (1) (ए) के तहत ट्राई की सिफारिशें मांगी थी ।

2. संदर्भ में एकीकृत लाइसेंस (यूएल) समझौते में दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा किए गए संशोधनों का उल्लेख किया गया है। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 25.10.2021 और 06.10.2021 के संशोधनों के माध्यम से संरचनात्मक सुधारों के तहत क्रमशः समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) और बैंक गारंटी (बीजी) मात्रा की परिभाषा को तर्कसंगत बनाया है।

3. भारत में डीटीएच संचालन डीटीएच प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नीति दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है। ये दिशानिर्देश लाइसेंस शुल्क (एलएफ) निर्धारित करते हैं। एलएफ एक गैर-कर शुल्क है जो किसी लाइसेंस प्राप्त गतिविधि को करने की अनुमति के विशेषाधिकार के तहत सेवा प्रदाता पर लगाया जाता है। दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, डीटीएच ऑपरेटरों को एलएफ का भुगतान करना आवश्यक है, जो एमआईबी को तिमाही आधार पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 8% है।

4. बैंक गारंटी (बीजी) एक प्रकार का वित्तीय साधन है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक सेवा प्रदाता समय पर अपना बकाया भुगतान करे और लाइसेंस समझौते के नियमों और शर्तों को पूरा करे। मौजूदा डीटीएच दिशानिर्देश पहली दो तिमाहियों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि के लिए बीजी निर्धारित करते हैं, और उसके बाद, दो तिमाहियों के लिए एलएफ के बराबर राशि और अन्य देय राशि के लिए जो अन्यथा प्रतिभूतिकृत नहीं होती है।

5. संदर्भ के आधार पर, ट्राई द्वारा 13 जनवरी 2023 को "डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामले" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। परामर्श पत्र पर हितधारकों से क्रमशः 27 फरवरी 2023 और 13 मार्च 2023 तक लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ

वि.प्र

आमंत्रित की गईं। प्राधिकरण को विभिन्न हितधारकों से 07 टिप्पणियाँ और 1 प्रति-टिप्पणी प्राप्त हुई। ये सभी टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। 20 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर एक ओपन हाउस चर्चा भी बुलाई गई थी।

6. सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

क. सकल राजस्व (जीआर) में सभी परिचालनों/गतिविधियों के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त इकाई को अर्जित होने वाला राजस्व शामिल होगा और इसमें ब्याज, लाभांश, किराया, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, विविध आय आदि के कारण अन्य सभी राजस्व/आय शामिल होगी। व्यय की संबंधित मदों के लिए समायोजन।
सिफ़ारिशों में परिभाषा के साथ कुछ स्पष्टीकरण भी दिए गए।

ख. लाइसेंस शुल्क के लिए राजस्व गणना पर पहुंचने के लिए लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) लाइसेंसधारी के कुल जीआर के बराबर होना चाहिए, जो निम्नलिखित मदों से कम हो:

१. दूरसंचार विभाग द्वारा जारी लाइसेंस/अनुमति के तहत गतिविधियों से राजस्व;

२. प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, सरकार से; और

३. एजीआर निकालने के लिए जीआर से बाहर की जाने वाली अन्य आय की सूची:

क. लाभांश से आय;

ख. ब्याज से आय;

ग. अचल संपत्तियों और प्रतिभूतियों की बिक्री से आय;

घ. विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ;

ङ. संपत्ति के किराए से आय;

च. बीमा दावे;

छ. अशोध्य ऋण की वसूली हुई;

ज. अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे गए।

* इन सिफ़ारिशों के अनुबंध-III में दी गई शर्तों के अधीन।

ग. समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना एपीजीआर से सरकार को भुगतान किए गए जीएसटी को छोड़कर की जाती है, यदि एपीजीआर को जीएसटी के घटक के रूप में शामिल किया गया था।

घ. एमआईबी को फॉर्म-डी (डीटीएच लाइसेंसधारियों के लिए राजस्व और लाइसेंस शुल्क का विवरण) को संशोधित करना चाहिए और सिफारिशों में निर्धारित फॉर्म-डी के प्रारूप को अपनाना चाहिए। फॉर्म-डी जमा करने की प्रक्रिया को सभी संबंधित दस्तावेजों को सिंगल

वि.प्र

विंडो सिस्टम के माध्यम से डिजिटल मोड में अपलोड करने की सुविधा के साथ शुरू से अंत तक ऑनलाइन किया जाना चाहिए।

ङ. एमआईबी को सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से कटौती सत्यापन प्रक्रिया के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना चाहिए। लाइसेंसधारी को समाधान के लिए आवश्यक सभी खातों की ऐसी सभी पुस्तकें और दस्तावेज लाइसेंसकर्ता को प्रस्तुत करने होंगे जिनका लाइसेंस शुल्क की गणना के उद्देश्य से राजस्व के सत्यापन पर असर पड़ता है।

च. डीटीएच लाइसेंसधारक को एजीआर के 3% के बराबर वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

छ. डीटीएच लाइसेंसधारियों के लिए लाइसेंस शुल्क अगले तीन वर्षों में शून्य किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2026-2027 की समाप्ति के बाद डीटीएच लाइसेंसधारियों से कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

ज. लाइसेंसधारी को किसी भी अनुसूचित बैंक से रुपये की प्रारंभिक बैंक गारंटी एमआईबी को जमा करनी होगी। पहली दो तिमाहियों के लिए 5 करोड़।

झ. तत्पश्चात, लाइसेंसधारी को किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी (वित्तीय और प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए) प्रारंभिक (यानी, 5 करोड़ रुपये) या अनुमानित देय राशि के 20% के बराबर राशि जो की दो तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क के बराबर और अन्य देय राशि जो अन्यथा प्रतिभूतिकृत नहीं है, जो भी अधिक हो एमआईबी को जमा करनी चाहिए।

ञ. एक बार जब लाइसेंस शुल्क शून्य हो जाए, तो लाइसेंसधारी को किसी भी अनुसूचित बैंक से एमआईबी को प्रारंभिक बैंक गारंटी (यानी, 5 करोड़ रुपये) के बराबर एक निश्चित राशि के लिए बैंक गारंटी (प्रदर्शन बैंक गारंटी) जमा करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह लाइसेंस समझौते की संपूर्ण अवधि के लिए वैध बना रहे, न्यूनतम एक वर्ष और हर साल नवीनीकृत किया जाएगा।

ट. लाइसेंस की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंसकर्ता को बैंक गारंटी को पूर्ण या आंशिक रूप से नक़द बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

ठ. व्यवसाय करने में आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को प्रोत्साहित और अनुमति दी जानी चाहिए।

ड. डीटीएच लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क की गणना के लिए सकल राजस्व (जीआर), लागू सकल राजस्व (एपीजीआर), समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) और एजीआर के प्रतिशत की परिभाषा सहित ये सिफारिशें 'भावी रूप से' लागू की जा सकती है।

7. अत्यधिक प्रतिस्पर्धी टेलीविजन वितरण बाजार में, डीटीएच क्षेत्र के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है। इन सिफारिशों के त्वरित कार्यान्वयन से क्षेत्र को मदद मिलेगी और सर्वांगीण विकास संभव होगा।

8. "डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामले" पर सिफारिशों का पूरा पाठ ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in. पर रखा गया है।

9. स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, यदि कोई हो, श्री अनिल कुमार भारद्वाज सलाहकार (बी एंड सीएस) को advbcs-2@trai.gov.in या टेलीफोन नंबर +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, ट्राई
टेलीफोन: 011-23237448
ई-मेल: secretary@trai.gov.in